

राज. सरकार

बनाम

कृष्ण पुत्र मण्मत्तप जाति नाई साकिन किंकराली।
गोपपुत्र

अन्तर्गत धारा 22 राज.उप. अधिनियम 1954

निर्णय दिनांक:- 15.09.2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का किंकराली ने एक रिपोर्ट पी-14 में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी कृष्ण पुत्र मण्मत्तप जाति नाई साकिन किंकराली द्वारा रौही मौजा किंकराली के खसरा संख्या 163 रक्बा 38.280 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन गोचर के नाम दर्ज भूमि की 0.80 हैक्टेयर भूमि पर अप्रार्थी द्वारा नाजायज काश्त करने संबंधित रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा प्राप्त होने पर अप्रार्थी के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 22 राज. उप. अधिनियम 1954 का प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु राज. उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत हेतुक दर्शित के लिये सूचना संख्यांक-4 नोटिस दिया गया जो अप्रार्थी से तामिल होकर प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का पूर्ण अवलोकन किया गया। अप्रार्थी ने जवाब पेश किया "गिरदावर की मौजूदगी में दिनांक 11.09.2025 को तोई लगा दी गई है" अप्रार्थी के जवाब का अवलोकन किया गया। हल्का पटवारी द्वारा अप्रार्थी के विरुद्ध पेश की गई रिपोर्ट प्रमाणित होती है। अप्रार्थी द्वारा गोचर भूमि पर अतिक्रमण करने के कारण कृष्ण पुत्र मण्मत्तप को अतिक्रमी घोषित किया जाता है अतिक्रमण करने पर 500 रूपए तावान से दण्डित किया जाता है। तहसील राजस्व लेखाकर मांग कायम करें।

भू अभिलेख निरीक्षक नोहर के नाम फसल खुर्द-बुर्द कर अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल करने के आदेश जारी हो

निर्णय आज दिनांक 15.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


नायब तहसीलदार (राजस्व)
नोहर